उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

संकल्प

विषयः–राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में अंशकालीन व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) एवं अधिकतम व्याख्यान 60 (साठ) प्रतिमाह तथा राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में अंशकालीन व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान 400/– (चार सौ रूपये मात्र) एवं अधिकतम व्याख्यान 60 (साठ) प्रतिमाह करने तथा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में नियमित नियुक्ति होने तक बाह्य स्रोत से अराजपत्रित तकनीकी कर्मचारी को रखने की स्वीकृति के संबंध में ।

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में नियमित शिक्षकों की कमी एवं नये पाठ्यक्रमों में पद सृजन के अभाव होने के कारण संस्थान द्वारा अंशकालीन व्याख्याताओं से पठन–पाठन का कार्य पूरा कराया जाता है। वर्त्तमान में अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में अंशकालीन व्याख्याताओं को विभागीय संकल्प संख्या 3397, दिनांक 26.11.2010 के आलोक में प्रति व्याख्यान, रू0 250/– अधिकतम मासिक दर रू0 12500/–(बारह हजार पॉच सौ रूपये) मात्र भुगतान किया जा रहा है एवं उक्त दर दिनांक 26.11.2010 से लागू है। वर्त्तमान में AICTE के Guideline के अनुसार व्याख्याताओं का वेतनमान 15600–39100 है। महंगाई दर अत्यधिक एवं उसके अनुपात में कम मानदेय की राशि निर्धारित रहने के कारण अंशकालीन व्याख्याता संस्थान को उपलब्ध नहीं हो पा रहे है चूकिं ये तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति है और राज्य के अधिकांश पोलिटेकनिक संस्थान राज्य के पिछड़े इलाके जैसे–लातेहार, खरसांवा, निरसा, खुँटरी एवं भागा जैसे स्थानों में स्थित है जहां स्थानीय तौर पर तकनीकी योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण दूसरे जिलो से जैसे रांची, जमशेदपुर, धनबाद आदि जगहों से तकनीकी योग्यता वाले व्यक्ति व्याख्यान लेने के लिए चुने जाते है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में रिक्त पदों की सीधी एवं नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। साथ ही, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में अराजपत्रित तकनीकी कर्मचारियों यथाः प्रयोगशाला सहायक एवं अनुदेशक की भी भारी कमी है। इन कर्मचारियों के नियमित नियुक्ति हेतु नियमावली सम्प्रति प्रक्रियाधीन है तथा इनकी नियमित नियुक्ति होने में समय लगने की संभावना है जिस कारण संस्थानों में शिक्षण कार्य बाधित हो रहे है।

अतः संस्थान एवं छात्रहित में अंशकालीन व्याख्याता के मानदेय में बढ़ोतरी एवं अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यादेश निर्गत करने में पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्व के प्रावधानों में आंशिक संशोधन एवं अराजपत्रित तकनीकी कर्मचारी की बाह्य स्रोत से रखने के संबंध में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया हैः–

2. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय संस्थान में अंशकालीन व्याख्याताओं का प्रति व्याख्यान मानदेय की राशि 250/–रूपये से बढ़ाकर 500/–(पांच सौ) रूपये एवं अधिकतम व्याख्यान 60 (साठ) प्रतिमाह किया जाता है।

3. राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में अंशकालीन व्याख्याताओं का प्रति व्याख्यान मानदेय की राशि 250/– रूपये से बढ़ाकर 400/–(चार सौ) रूपये एवं अधिकतम व्याख्यान 60 (साठ) प्रतिमाह किया जाता है।

4. प्रत्येक संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के आवश्यकतानुसार न्यूनतम संख्या में अंशकालीन व्याख्याताओं को स्थानीय व्यवस्था के तहत कार्यादेश निर्गत करेंगे।

5. संस्थान स्तर से प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर साक्षात्कार/चयन समिति से अनुशंसा प्राप्त कर आरक्षण संबंधी सभी नियमों का विधिवत् अनुपालन संस्थान स्तर पर प्राचार्य/निदेशक करेगे एवं नियमानुसार रोस्टर पंजी भी संस्थानीय स्तर पर संधारित करते रहेंगे। स्थानीय व्यवस्था के तहत कार्य पर रखे गये अंशकालीन व्याख्याता इस कार्यानुमति आदेश के आधार पर किसी भी पद पर नियमित नियुक्ति के दावेदार नहीं होंगे, इस बात का उल्लेख संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से उनके कार्यानुमति आदेश पर किया जायेगा। अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यानुमति निर्गत करने के उपरान्त सभी मामलों को सूचीबद्ध कर संस्थान के निदेशक/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य यह प्रमाण पत्र देंगे कि सभी संस्थापित औपचारिकताएं/नियमों, विशेष रूप से आरक्षण नियमों का अनुपालन किया गया है। यह प्रमाण पत्र प्रत्येक कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त संस्थान विभागीय निदेशक को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। अंशकालीन व्याख्याता के मानदेय के विपत्र पर संस्थान के केवल वरीयतम व्याख्याता/विभागाध्यक्ष द्वारा ही वर्ग कार्य संबंधी सत्यापन किया जायेगा। वर्ग कार्य का सत्यापन पाठ्यक्रम में वर्णित विषय के विभिन्न Chapters में अंकित व्याख्याता संख्या के आलोक में किया जाएगा।

अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यानुमति प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यादेश प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व संस्थान द्वारा निर्गत किया जाएगा। किसी भी अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यानुमति हेतु आदेश एक ही शैक्षणिक सत्र के लिए निर्गत किया जाएगा। पूर्व में निर्गत इससे संबंधित सभी कार्यादेश इसी शैक्षणिक सत्र तक लागू रहेंगे।

6. अंशकालीन व्याख्याताओं के पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित शाखा के वरीय शिक्षक/विभागाध्यक्ष द्वारा विपत्र सत्यापन के पश्चात् होगा। सत्यापन का आधार उपस्थिति पंजी एवं वर्ग में दिये व्याख्यान अर्न्तगत Covered Topics की विवरणी पर किया जायेगा। अंशकालीन व्याख्याता वर्ग कार्य के पूर्व Teaching Plan तैयार कर संस्थान को उपलब्ध करायेगें। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति के उपरान्त संस्थान के प्रमुख अंशकालीन व्याख्याताओं द्वारा लिये गये वर्ग कार्य का व्योरा मुख्यालय को उपलब्ध करायेगें।

7. ट्यूटोरियल, प्रयोगशाला, सेसनल, इनभेजीलेसन (आंतरिक परीक्षा), जो एकेडमिक कार्य है, उसके लिए भी अंशकालीन व्याख्याता को व्याख्यान मानकर (प्रति व्याख्यान या प्रति घंटा का आधा) मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

8. अंशकालीन व्याख्याता एक से अधिक संस्थान में कार्य नहीं करेंगे।

9. बढ़े दर पर मानदेय का भुगतान आदेश निर्गत होने की तिथि से देय होगा एवं इसके पूर्व के लिए किसी प्रकार के बकाये का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

10. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में बाह्य स्रोत से प्रयोगशाला सहायकों एवं अनुदेशकों का चयन Human Resource Agency के माध्यम से किया जायगा, एवं HR Agency का चयन खुली निविदा द्वारा की जाएगी।

11. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में बाह्य स्रोत से चयनित प्रयोगशाला सहायकों एवं अनुदेशकों को वर्त्तमान में प्रयोगशाला सहायकों एवं अनुदेशकों के लिए जो वेतनमान निर्धारित है (5200–20200 GP 2800) का Basic एवं Grade Pay का योग मासिक मानदेय के रूप में रूपये 8560 + 2800 = 11360 व्यवसायिक सेवा मद में उपबंधित राशि से की जाएगी, अन्य भत्ता यथा महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

12. प्रयोगशाला सहायकों एवं अनुदेशकों को संस्थानों में कुल स्वीकृत पद के विरूद्ध ही बाह्य स्रोत से नियमित नियुक्ति होने तक रखे जायेंगे। बाह्य स्रोत से रखे गये प्रयोगशाला सहायक एवं अनुदेशक भविष्य में नियमित नियुक्ति के दावेदार नहीं होंगे।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– वि0प्रा0–22/01–02 /रॉची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस) झारखण्ड, डोरण्डा, रांची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प की 500 (पांच सौ) प्रतियां मुद्रित कर इस विभाग को भेजे।

ह0/–
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– वि0प्रा0–22/01–02 /रॉची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– वि0प्रा0–22/01–02 २८९० /रॉची, दिनांक :– 11.12.2015

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/सभी प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक को सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव